

— आदेश :—

श्री मुरारी लाल गौतम, लिपिक ग्रेड-1, विभागीय जांच विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को इनकी चतुर्थ श्रेणी की वरीयता संख्या 108/2013 व सेवानिवृत्ति दिनांक 28.02.2029 है, के आधार पर उनके निवास हेतु राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 27 के प्रावधानान्तर्गत आउट ऑफ टर्न के आधार पर राजकीय आवास संख्या एफ-161, गांधीनगर, जयपुर में निम्न शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटन किया जाता है।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

शर्त :—

1. आवास का कब्जा आवंटन/रिक्त की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृत्ति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त धूने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने /क्रय करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी—चूंकि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(गा)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसकी मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता को यह पोषण करनी होगी।—
  1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे हैं।
  2. आवेदन प्ररत्ति करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम ये जयपुर में निजी आवास निर्मित/क्रय नहीं किया है।
8. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

५०

(डॉ. पी.डी.पारीक)

उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग की आई.डी. संख्या 233/एम/जीएडी/18 दिनांक 10.09.18 के क्रम में।
2. जिला कलक्टर, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, कामिक (ख-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
4. वित्तीय सलाहकार, कर्मिक (ग) विभाग जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
5. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
6. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
7. अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड-तृतीय (मुख्यालय) जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस आवंटन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की आवश्यक पूर्ति करने के पश्चात ही आवंटन की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
8. अधिशासी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, गांधीनगर जयपुर।
9. अधिशासी अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, रामबाग सर्किल, जयपुर।
10. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3), विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर-कृपंया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेव साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
11. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी गांधीनगर, जयपुर।
12. श्री मुरारी लाल गौतम, लिपिक ग्रेड-1, विभागीय जांच, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि कब्जा लेने से पूर्व इस आवंटन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की अपने स्तर पर आवश्यक पूर्ति कर अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड-तृतीय (मुख्यालय) जयपुर को सम्प्लावने के पश्चात ही कब्जा प्राप्त करें।
13. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, साप्रविं।
14. रक्षित पत्राचली।

उप शासन सचिव

— आदेश —

श्री मुरारी लाल मीना, लिपिक ग्रेड-1, कार्यालय संसदीय सचिव (हुडला), जयपुर को इनकी चतुर्थ श्रेणी की वरीयतों संख्या 274/2015 व सोवानिवृति दिनांक 31.10.2049 है, कि आधार पर उनके निवास हेतु राजकीय आवास आवंटन नियम, 1968 के नियम 27 के प्रावधानात्मक आउट ऑफ टर्न के आधार पर राजकीय आवास संख्या एफ-147, गाँधीनगर, जयपुर में निजी शर्तों के आधार पर एवंदक्षारा आवंटन किया जाता है।

उक्त आदेश सकारा रहा से अनुगमित है।

शर्तों—

1. आवास का कब्जा आवंटन/रिक्त की तिथि सो ४ दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा ब लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त रामङ्ग जावेगा।
2. उक्त आवास को किराया, राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सोवानिवृति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर रथान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित वरना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. रवयं तथा पर्यावरण के नाम से प्रदर्शन करना पर निजी आवास वा जाने / क्रय करने की रिधति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. राज्यस्थान विभागाध्यक्ष/आदरण नितरण अधिकारी वैकुं उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन दिया जा दुवारे है। उक्त राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास नियम की तिथि से ४ दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असम्भव रहने की तारीख से ६ माह की कालावधि तक अगला आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेंगे। ६ माह की समाप्ति पश्चात उस प्रतीक्षा सूची में अपनी पूल रिधति में पूरा लाया जा सकेगा। उसका नियम किसाया गत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुशोध हो तो रोक दिया जायेगा।
7. आवंटी को आवंटित साजकीय आवास का कब्जा लेने से पूर्व, संघर्षित अधिशासी अभियन्ता को यह धोपणा करनी होगी—
  1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित साजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही प्रदर्शनापत्र रखें हैं।
  2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित साजकीय आवास के कब्जा लेने तक वही अवधि में आवंटी के द्वारा कोई रवयं/पात्र/पर्यावरण पर अधिकृत किसी अन्य सदस्य के नाम ये जयपुर में निजी आवास नियम/क्रय नहीं किया है।
8. उपरोक्त के अतिरिक्त साजकीय आवास द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

४८

(डॉ. पी.डी.पारीक)

उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. विशिष्ट सहायक, मानोदीय मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग की अ.शा. टीप क्रमांक :-ग./ साप्र/2018/588, दिनांक 10.09.18 के क्रम में।
2. जिला कलेक्टर, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, वर्गीक (ख-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके बेतन से नियमानुसार किसाया वसूली को सुनिश्चित करावें।
4. विशिष्ट सलाहकार, वर्गीक (ग) विभाग जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके बेतन से नियमानुसार किसाया वसूली को सुनिश्चित करावें।
5. विशिष्ट सहायक, संसदीय सचिव (हुडला), जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके बेतन से नियमानुसार किसाया वसूली को सुनिश्चित करावें।
6. निदेशक, सम्पदा विभाग, निजी सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके बेतन से नियमानुसार किसाया वसूली को सुनिश्चित करावें।
7. कोषधिकारी, कोप कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड-तृतीय (मुख्यालय) जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस आवंटन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की आवश्यक पूर्ति करने के पश्चात ही आवंटन की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
9. अधिशासी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, गाँधीनगर जयपुर।
10. अधिशासी अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, रामवाग सक्किल, जयपुर।
11. प्रोग्राम, सामान्य प्रशासन (युप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर-कृप्या उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की बैठक राइट पर अपडेट करने का, अग्र. करावें।
12. सहायक, अधियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग घौकी, गाँधीनगर, जयपुर।
13. श्री मुरारी लाल मीना, लिपिक ग्रेड-1, कार्यालय संसदीय सचिव (हुडला), शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि कब्जा लेने से पूर्व इस आवंटन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की अपने स्तर पर आवश्यक पूर्ति कर अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड-तृतीय (मुख्यालय) जयपुर को सम्बलवाने के पश्चात ही कब्जा प्राप्त करेंगे।
14. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, साप्रविभाग।
15. रक्षित पत्रावली।

उप शासन सचिव

राजकीय आवास के आवंटी सलग्न प्रपत्र में शपथपूर्वक सूचना अंकित करते अपने नियुक्ति अधिकारी/ विभागाध्यक्ष से प्रमाणित करते हुये सार्वजनिक निर्माण विभाग की संबंधित चौकी में आवंटित राजकीय आवास का कब्जा लेते समय प्रस्तुत करेंगे। संबंधित सहायक अभियन्ता द्वारा आवंटी से प्राप्त उक्त प्रपत्र अनुसार आवंटन हेतु पात्र होने पर ही कब्जा प्रदान किया जावेगा तथा आवंटन आदेश जारी होने के 15 दिवस में कब्जे की रिपोर्ट के साथ प्रपत्र आवश्यक रूप से इस विभाग को भिजवाना सुनिश्चित करावेंगे।

प्रपत्र में असत्य सूचनाओं के आधार पर आवंटन निरस्त किया जा सकता है तथा कब्जे की तिथि से प्रचलित बाजार किराया दर वसूलनीय होगा।

#### प्रपत्र

1.	नाम अधिकारी/ कमेंटारी	
2.	वर्तमान पद एवं पदस्थान विवरण	
3.	जन्म दिनांक	
4.	संवानिवृत्ति दिनांक	
5.	जयपुर शहर में राजकीय आवास हेतु जयपुर शहर में निस्तर रूप से पदस्थापित है? जयपुर में आवास हेतु आवदेन किया जाने के पश्चात् लगातार जयपुर में ही पदस्थापित रहें हैं। इस माध्यमें स्वयं का जयपुर से बाहर स्थानान्तरण एवं पदस्थापन नहीं हुआ है।	
6.	आवंटी का जयपुर शहर में कोई खय/पत्ति व उन पर आश्रित किसी सदस्य के नाम निजी आवास नहीं है।	

आवेदक के हस्ताक्षर मय गोबाईल नम्बर

विभागाध्यक्ष / आहरण वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर

